

कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर

मोती झील, कानपुर

पत्रांक / का०वि०प्रा०/20.....-20....

दिनांक

आवंटन पत्र

Subject: Regarding Allotment of a Property in RAM GANGA HOUSING ENCLAVE Scheme

विषय: संपत्ति आवंटन के संबंध में

Mode of Allotment : Counter Sale/Auction

सेवा में,

श्री/सुश्री/श्रीमती SMT DILMAYA

पिता/पति LATE POORAN

TYPE-4 A-2 ESI HOSPITAL CAMPUS KANPUR ROAD

LUCKNOW

226023

महोदय/महोदया,

With reference to above cited subject, I have been directed to inform you that a Property has been allotted under and your particulars are given

उपरोक्त विषयक योजना के अंतर्गत निम्नानुसार संपत्ति का आवंटन आपको किया जाता है।

Property ID:	682	Property No.:	26/08
Category:	General	Property Code:	18070307
Scheme:	RAM GANGA HOUSING ENCLAVE	Floor:	N/A
Sector:		Sub Scheme:	TYPE-I
Property Type:	TYPE-I	Section:	Flat
Registration Amount:	165000.00	Building Type:	1st Floor
Area:	46.34 SQ.M.	Property Cost:	1500000.00
Handicapped:	N	Senior Citizen:	N

Payment Terms

क्रम संख्या	देय का प्रकार	धनराशि	प्रथम किश्त की तिथि	किश्तों की संख्या	ब्याज दर	दंड ब्याज
1	Allotment Dues	210000	01-08-2018	0	0	15.00
2	EMI	1125000	01-11-2018	40	12	15.00

Installments Payment Schedule

आपको अवशेष धन निम्न विवरण के अनुसार निर्धारित तिथि के अंदर रेजिस्ट्रेशन/ प्रॉपर्टी आई डी के विवरण सहित प्राधिकरण/ सम्बंधित बैंक काउंटर में जमा करना आवश्यक होगा।

किश्त संख्या	भुगतान हेतु अंतिम तिथि	मूल धनराशि	ब्याज की धनराशि	कुल धनराशि
1	01-08-2018	210000	0	210000
2	01-11-2018	14921	33750	48671
3	01-02-2019	15369	33302	48671
4	01-05-2019	15830	32841	48671
5	01-08-2019	16305	32366	48671
6	01-11-2019	16794	31877	48671
7	01-02-2020	17298	31373	48671
8	01-05-2020	17817	30854	48671
9	01-08-2020	18351	30320	48671
10	01-11-2020	18902	29769	48671
11	01-02-2021	19469	29202	48671
12	01-05-2021	20053	28618	48671
13	01-08-2021	20654	28017	48671
14	01-11-2021	21274	27397	48671
15	01-02-2022	21912	26759	48671
16	01-05-2022	22569	26102	48671
17	01-08-2022	23247	25424	48671
18	01-11-2022	23944	24727	48671
19	01-02-2023	24662	24009	48671
20	01-05-2023	25402	23269	48671
21	01-08-2023	26164	22507	48671

30	01-11-2025	34138	14533	48671
31	01-02-2026	35162	13509	48671
32	01-05-2026	36217	12454	48671
33	01-08-2026	37304	11367	48671
34	01-11-2026	38423	10248	48671
35	01-02-2027	39576	9095	48671
36	01-05-2027	40763	7908	48671
37	01-08-2027	41986	6685	48671
38	01-11-2027	43245	5426	48671
39	01-02-2028	44543	4128	48671
40	01-05-2028	45879	2792	48671
41	01-08-2028	47255	1416	48671
	कुल	1335068	821772	2156840

नियम व शर्तें:

- उपरोक्त देय धनराशि प्राधिकरण द्वारा अधिकृत कानपुर नगर की किसी भी बैंक में जमा की जा सकती है, तथा ऑनलाइन भुगतान के लिए के० डी० ए० की वेबसाइट KDAINDIA.CO.IN पर लॉग इन कर आवंटन अपना भुगतान कर सकते हैं।
- फ्लैट के मद में सम्पूर्ण धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से 90 दिन के अन्दर जमा करने पर भवन मूल्य के 90 प्रतिशत धनराशि पर 4 प्रतिशत छुट दी जाएगी।
- फ्लैट के मद में 1/4 धनराशि का अवशेष धन अथवा तीन लगातार किस्ते निर्धारित तिथि तक जमा न करने पर आवंटन निरस्त करते हुए पंजीकरण धनराशि जव्त कर अवशेष धन वापस कर दिया जायेगा।
- किशतों के भुगतान में विलम्ब होने की दशा में 3 प्रतिशत दंड व्याज अतिरिक्त देय होगा जिसकी अधिकतम अवधि 6 माह होगी।
- आवंटी ने यदि साक्ष्यों को छुपाते हुये पति/पत्नी दोनों के नाम आवंटन करा लिया है तो जांचोपरांत साक्ष्य गलत पाये जाने पर 1 भवन का आवंटन निरस्त कर नियमानुसार कटौती कर धनराशी वापस कर दी जाएगी।
- यदि आवंटित फ्लैट का कच्चा देने में अर्जन सम्वन्धी अथवा न्यायालय प्रक्रिया के कारण अथवा अन्य किसी अपरिहार्य कारणों से किसी प्रकार का विलम्ब होता है अथवा बाधा उत्पन्न होने की स्थिति में किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति नहीं दी जाएगी ऐसी दशा में आवंटन का जमा धन बिना कटौती के वापस कर दिया जायेगा।
- आवंटित फ्लैट का पूर्ण भुगतान होने पर निबंधन हेतु भेजे गए सूचना पत्र के अनुसार यदि आवंटन निबन्धन नहीं कराता है तो नियमानुसार रु० 2/ प्रति वर्ग मी० की दर से कच्चा प्राप्त करने की तिथि तक चौकीदारी शुल्क देय होगा।
- फ्लैट का कच्चा निबंधन उपरांत ही दिया जायेगा कच्चा पत्र जारी होने के 1 माह के अन्दर कच्चा न लेने की दशा में नियमानुसार चौकीदारी शुल्क जमा करना होगा।
- आवंटी को नियमानुसार समय समय पर राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा निर्धारित देय समस्त करो आदि का भुगतान किया जाना होगा।
- फ्लैटों का आवंटन फ्री होल्ड के आधार पर किया जायेगा, फ्री होल्ड की धनराशि निबन्धन से पूर्व जमा करनी होगी। विक्रय विलेख का निष्पादन प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा।
- आवंटी यदि सम्पूर्ण भुगतान बैंक अथवा किसी वित्तीय संस्था से ऋण लेकर जमा करना चाहता है तो प्राधिकरण को कोई आपत्ति नहीं होगी बशर्ते सम्पूर्ण धन जमा कर निबंधन अपने पक्ष में करा ले, बिंदु संख्या 11 को ही अनापत्ति पत्र समझा जाये।
- मनचाहा फ्लैट आवंटन के उपरान्त निरस्त या पंजीकरण धनराशि वापस मांगने पर पंजीकरण धनराशि जव्त कर ली जायेगी।
- प्राधिकरण अथवा शासन द्वारा अन्य कोई आदेश दिए जाते हैं तो वह भी मान्य होंगे।

किसी भी विवाद की दशा में उपाध्यक्ष कानपुर विकास प्राधिकरण का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।

भवदीय,

अधिशायी अभियन्ता
BULK SALE